छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर,अटल नगर 492002

क्रमांक / एफ 4–1 / 15–2 / 2025 / 568 अटल नगर, दिनांक : 17 / 02 / 2025

प्रति,

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग.
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग.
4. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़.
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नवा रायपुर.
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, नवा रायपुर.
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम.
8. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, नवा रायपुर.
9. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, नवा रायपुर.
10. प्रबंध संचालक, मां दन्तेश्वरी मक्का प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति, कोण्डागांव.
11. समस्त प्रबंध संचालक, सहकारी शक्कर कारखाना.
12. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित.
13. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी हाथकरघा संघ मर्यादित, रायपुर.
14. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर.
15. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित, रायपुर.

विषय :– **माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 28.01.2025 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण।**

–––00–––

माननीय मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.01.2025 को आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक का कार्यवाही विवरण, आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

(के.के. भूआर्य)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

पृ. क्रमांक / एफ 4–1 / 15–2 / 2025 / 569 अटल नगर, दिनांक : 17 / 02 / 2025

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर.
2. **निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग की ओर सूचनार्थ।**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग
दिनांक 28/01/2025

कार्यवाही विवरण

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 28.01.2025 को सायं 03.00 बजे सहकारिता विभाग की समीक्षा मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर के कक्ष क्रमांक एम/5–24 में की गई।

बैठक में मुख्य सचिव महोदय, प्रमुख सचिव/सचिव मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव सहकारिता, प्रमुख सचिव कृषि, सचिव वित्त, सचिव सहकारिता, पंजीयक सहकारी संस्थाएं, प्रबंध संचालक राज्य सहकारी विपणन संघ, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ तथा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ उपस्थित रहे।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बैठक में निम्नानुसार निर्देश/सुझाव दिए गए :–

1 प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुआयामी पैक्स/डेयरी/मत्स्य/लघुवनोपज सहकारी समितियों के गठन तथा विभाजन की कार्यवाही निर्धारित समय–सीमा में वॉयबिलिटी को ध्यान में रखते हुए की जावे।

(कार्यवाही– सहकारिता/पशुपालन/मत्स्य/लघु–वनोपज)

2 सहकारिता विभाग में कार्यों की विविधता तथा व्यापकता को देखते हुए विभाग में उप–अंकेक्षक एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की अनुमति हेतु यथोचित प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे।

(कार्यवाही– सहकारिता)

3 राज्य शासन, दुग्ध महासंघ तथा NDDB के मध्य MoU का निष्पादन किया जा चुका है। MoU अनुसार, प्रथम चरण में 4 जिलों क्रमशः कांकेर, कोण्डागांव, महासमुंद एवं सारंगढ बिलाईगढ़ में पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत 250 अनुसूचित जनजाति परिवारों को दुधारू पशु प्रदाय हेतु कार्ययोजना अनुसार उपयुक्त पशु किसानों को उपलब्ध कराए जावे। योजना ऐसी हो, जिसमें शासकीय अंशदान के साथ ही न्यूनतम अंशदान कृषक सदस्यों द्वारा भी लगाया जाए।

(कार्यवाही– पशुपालन/दुग्ध महासंघ)

4 राज्य में RIDF योजनान्तर्गत नवीन पंजीकृत समितियों में 725 गोदाम–सह–कार्यालय को भारत सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना में सम्मिलित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। पैक्स में 1800 मिट्रिक टन क्षमता के 50 गोदाम निर्माण कराए जाने हेतु मण्डी बोर्ड से समन्वय कर प्रयास किया जाये।

(कार्यवाही–सहकारिता/मण्डी बोर्ड)

क्रमशः ..2

5 राज्य में 42 जन औषधि केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें से 26 प्रारंभ कर लिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। ट्रांजेक्शन में वृद्धि के उचित प्रयास करें तथा सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित किया जावे।

(कार्यवाही– सहकारिता)

6 राज्य की 2058 पैक्स में से 2017 पैक्स में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर में प्रसार–प्रसार एवं किसानों को इनकी सेवाओं के प्रति जागरूक करें ताकि इन सेवाओं के अधिक से अधिक उपयोग होने पर ट्रांजेक्शन में वृद्धि हो तथा समितियों तथा उनसे जुडे सदस्यों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही– सहकारिता/अपेक्स बैंक/जिला सहकारी बैंक)

7 समितियों को खाद परिवहन से होने वाली हानि से बचाने के लिए सहकारिता विभाग विपणन संघ से समन्वय कर प्रभावी कदम उठाए।

(कार्यवाही–सहकारिता/विपणन संघ)

8 भारत सरकार द्वारा पंजीकृत भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति तथा राष्ट्रीय जैविक सहकारी समिति में राज्य के सभी पैक्स द्वारा सदस्यता हेतु आवेदन पूर्ण कर लिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(कार्यवाही– सहकारिता/जिला सहकारी बैंक)

9 भारतीय जैविक समिति का लघु वनोपज संघ के साथ MoU हुआ है जिसके अंतर्गत जैविक समिति द्वारा राज्य से आर्गेनिक शहद की मांग की गई है। यह भी कि शहद के साथ–साथ राज्य के अन्य जैविक उत्पादों को भी भारतीय जैविक समिति के माध्यम से विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

(कार्यवाही–लघु वनोपज संघ)

10 वर्तमान में राज्य में कवर्धा कारखाने में ही पीपीपी मोड में इथेनॉल प्लान्ट स्थापित है, भारत सरकार द्वारा ईथेनॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है इसलिए राज्य में और ईथेनॉल प्लांट लगाए जाने की आवश्यकता है। प्रथम चरण में मॉ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, केरता, सूरजपुर में पी.पी.पी. मॉडल में ईथेनॉल प्लांट लगाए जाने हेतु कार्यवाही की जावे।

(कार्यवाही–सहकारिता/अंबिकापुर शक्कर कारखाना)

11 नेशनल कन्ज्यूमर को–ऑपरेटिव्ह फेडरेशन में राज्य की सभी समितियों के पंजीयन कर प्रथम राज्य बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। जशपुर, सरगुजा एवं बस्तर क्षेत्र में फसल चक्र परिवर्तन को बढ़ावा दिए जाने तथा कृषकों की आय में वृध्दि हेतु मक्का उत्पादन हेतु कृषकों को प्रेरित किया जावे।

(कार्यवाही– कृषि/सहकारिता)

क्रमशः ...3

12 राज्य की सभी 2058 पैक्स में माईक्रो एटीएम उपलब्ध कराने संबंधी पहल की सराहना की गयी। बस्तर क्षेत्र में सहकारी बैंक की अधिक से अधिक शाखा स्थापित किए जाने का प्रयास किया जाये एवं बैंकों द्वारा संचालित मोबाईल वेन एटीएम के टाईम टेबल को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए।

12 (A) बस्तर संभाग में सहकारी बैंक की नई शाखाएं खोलने की व्यवहार्यता को बढ़ाया जाए।

(कार्यवाही— अपेक्स बैंक / जिला सहकारी बैंक)

13 सहकारी बैंकों में किसानों के लिए आधुनिक तकनीकी आधारित बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु इंटरनेट बैंकिंग, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जल्द से जल्द प्रारंभ की जाने हेतु प्रयास किये जाए।

(कार्यवाही— अपेक्स बैंक / जिला सहकारी बैंक)

14 सहकारी बैंकों द्वारा कृषि ऋण वितरण का कार्य बहुत सुगम तरीके से किया जाता है, बैंक के वित्तीय हितों के लिए अकृषि ऋण पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, इसके लिए आगामी वर्ष में राशि रू. 200 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

(कार्यवाही— अपेक्स बैंक / जिला सहकारी बैंक)

15 राज्य में दुर्गम क्षेत्र की 87 समितियां उज्जवला योजना अंतर्गत LPG वितरण का कार्य कर रही है, जो कि निरंतर घाटे की स्थिति में हैं। इन्हें लाभ में लाने हेतु क्षेत्र के अन्य ग्राहकों को भी इन समितियों से संबद्ध किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु सहकारिता विभाग खाद्य विभाग को बल्क ट्रांसफर हेतु प्रस्ताव प्रेषित कर व्यवस्था सुनिश्चित करावे।

(कार्यवाही—सहकारिता / खाद्य)

16 भारत सरकार की सहकार से समृद्धि पहल अंतर्गत पैक्स का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है। राज्य की स्वीकृत 2028 पैक्स में कम्प्यूटरीकरण का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है जो कि सराहनीय है, इसका पूर्ण लाभ समितियों तथा उनसे जुड़े कृषकों को निश्चित ही प्राप्त होगा।

(कार्यवाही—सहकारिता / अपेक्स बैंक)

17 "अर्न्तराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025" के लिए राज्य में की जाने वाली गतिविधियों के वार्षिक कैलेण्डर का अवलोकन किया गया। इस कार्य के सुचारू संचालन हेतु बजट में राशि की व्यवस्था हेतु उचित कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही—सहकारिता / वित्त)

18 (i) **राज्य के चारों सहकारी शक्कर** कारखानों द्वारा PDS में वितरण हेतु शक्कर नागरिक **आपूर्ति निगम को विक्रय** की जाती है, जिसकी बाजार दर से कम मूल्य पर 'नॉन' द्वारा

क्रमशः ...4

राशि प्रदान की जा रही है। बाजार दर के अनुसार ही आपूर्ति निगम द्वारा कारखानों को भुगतान करने एवं विगत वर्षों में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु विभाग के प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

(कार्यवाही–सहकारिता/नागरिक आपूर्ति निगम/समस्त शक्कर कारखाने)

(ii) वर्तमान में सभी कारखाने हानि में चल रहे हैं, कारखानों की लाभप्रदता में वृद्धि के लिए पॉयलेट तौर पर सहकारी शक्कर कारखाना बालोद अथवा माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना केरता, सूरजपुर के संचालन एवं रख–रखाव को पीपीपी मोड या निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार किया जाए।

(कार्यवाही–सहकारिता/शक्कर कारखाना बालोद, सूरजपुर)

(iii) सहकारिता के क्षेत्र में मल्टीफीड ईथेनॉल प्लांट की स्थापना कोण्डागांव जिले में की जा रही है। सहकारी शक्कर कारखानों की लगातार हानि को दृष्टिगत रखते हुए, कोण्डागावं ईथेनॉल प्लांट के संचालन की वायबिलीटी के परीक्षण उपरांत संचालन एवं रखरखाव को पीपीपी मोड या निजी क्षेत्र को सौंपने पर विचार किया जाए।

(कार्यवाही–सहकारिता/ईथेनॉल प्लांट कोण्डागांव)

19 सहकार से समृद्धि के तहत माननीय केन्द्रीय सहकारिता मंत्री जी के निर्देश अनुसार 04 नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक क्रमशः–(1) महासमुंद–गरियाबंद, (2) जांजगीर–चांपा–सक्ती (3) रायगढ़ जशपुर –सारंगढ़ (4) कांकेर– नारायणपुर, नवीन बैंक का प्रस्ताव विभाग द्वारा तैयार किया जाए।

(कार्यवाही– सहकारिता/अपेक्स बैंक)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सहकारिता विभाग

––000––